उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या– 469 /XXIV(1)/2013-45/2008
देहरादूनः दिनॉक 02 जुलाई 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात्:–

उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

पदनाम परिवर्तन **2.** उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के समस्त नियमों में उपखण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थान पर **उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)**, अपर जिला शिक्षाधिकारी(बेसिक) के स्थान पर **जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक)**, जिला शिक्षाधिकारी के स्थान पर **मुख्य शिक्षाधिकारी,** निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के स्थान पर **निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा** एवं अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के स्थान पर **निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण** पढ़ा जाए। शेष प्राधिकारियों के नाम यथावत रहेंगे।

नियम 1 में उपनियम (4) एवं (5) का बढ़ाया जाना **3.** मूल नियमावली के नियम 1 के उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित नये उपनियम (4) एवं (5) बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:–

(4) मूल नियमावली के अन्तर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के नियम, संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के प्रावधानों के अधीन लागू होंगे।

(5) मूल नियमावली के नियम मदरसा, वैदिक पाठ्शाला एवं मुख्य रूप से धार्मिक निर्देश प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

नियम 2 के उपनियम (छ) का प्रति स्थापन **4.** मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2(छ) "अपवंचित वर्ग के बच्चे" से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अनाथ बच्चे,	**2(छ) "अपवंचित वर्ग के बच्चे"** से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), **Manual**

शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हों, ऐसे बच्चे जो किसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों और जिनकी वार्षिक आय रू0 80,000/- से कम हो, एच0आई0वी0+ बच्चे या एच0आई0वी0+माता-पिता के बच्चे तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) में यथा परिभाषित विकलांग माता-पिता (कोढ़ से ग्रसित व्यक्तियों सहित) जिनकी वार्षिक आय रू0 4.5 लाख से कम हो, के बच्चे अभिप्रेत हैं, और इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चे भी सम्मिलित हैं;

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 12 के प्राविधानों के अन्तर्गत अपवंचित समूह के समस्त बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाएं अनिवार्य रूप से प्रवेशित की जायेंगी;

Scavengers परिवारों के बच्चे, अनाथ बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) **अथवा अत्यधिक निःशक्त बच्चे जो कि National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (अधिनियम संख्या 44 वर्ष 1999)** के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हों, ऐसे बच्चे जो किसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों और जिनकी वार्षिक आय रू0 80,000/- से कम हो, एच0आई0वी0+बच्चे या एच0आई0वी0 + माता-पिता के बच्चे तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) **अथवा National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (अधिनियम संख्या 44 वर्ष 1999)** में यथा परिभाषित विकलांग माता-पिता (कोढ़ से ग्रसित व्यक्तियों सहित) जिनकी वार्षिक आय रू0 4.5 लाख से कम हो, के बच्चे अभिप्रेत हैं, और इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चे भी सम्मिलित हैं;

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 12 के प्राविधानों के अन्तर्गत अपवंचित समूह के समस्त

बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाएं अनिवार्य रूप से प्रवेशित की जायेंगी;

नियम 17 के उपनियम (2) का प्रतिस्थापन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
17(2)–राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व अथवा बाद में स्थापित प्रत्येक विद्यालय नियमावली के प्रवृत्त होने के 03 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी, जो धारा 18 के अन्तर्गत इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी होगा, के समक्ष इस हेतु **परिशिष्ट–एक** में निर्धारित **प्रपत्र–1** पर स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना पत्र/स्वघोषणा पत्र प्रेषित किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना पत्र/स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात सम्बन्धित विद्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद तथा पंजीकरण संख्या प्राप्त करेंगें।	**17(2)**–राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर नियमावली के प्रवृत्त होने के **बाद में स्थापित/नवीन मान्यता हेतु प्रत्येक विद्यालय** सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जो धारा 18 के अन्तर्गत इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी होगा, के समक्ष इस हेतु **परिशिष्ट–एक** में निर्धारित **प्रपत्र–1** पर स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना पत्र/स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात सम्बन्धित विद्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद तथा पंजीकरण संख्या प्राप्त करेंगे।

नये नियम 17(क) का जोड़ा जाना

6. मूल नियमावली के नियम 17 के पश्चात नियम 17(क) निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा, अर्थातः–

<u>17(क)</u>:–

(1) **राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर, उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के प्रवृत्त होने से पूर्व मान्यता प्राप्त प्रत्येक विद्यालय (जहाँ पूर्व**

प्राथमिक/कक्षा–1 से कक्षा–8 तक की कक्षाएं संचालित हैं) वर्तमान नियमावली के प्रवृत्त होने के 1 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जो अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी होगा, के समक्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने सम्बन्धी स्वघोषणा पत्र, वर्तमान नियमावली के परिशिष्ट–एक में निर्धारित प्रपत्र–1(क) पर प्रस्तुत करेगा। स्वघोषणा पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात सम्बन्धित विद्यालय स्वघोषणा पत्र की प्राप्ति रसीद तथा पंजीकरण संख्या प्राप्त करेंगे।

(2) वर्तमान नियमावली के प्रपत्र–1(क) पर प्राप्त स्वघोषणा पत्र को सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वघोषणा पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अन्तर्गत जनसामान्य के अवलोकनार्थ वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) ऐसे विद्यालय जिनके द्वारा इस नियमावली के निर्धारित प्रपत्र–1(क) पर भर कर दिये गये स्वघोषणा प्रपत्र में यह दावा किया गया हो कि उनके द्वारा अधिनियम की धारा 19 में उल्लिखित अनुसूची के निर्धारित मानक एवं मानदण्डों एवं धारा 25 के अनुसार छात्र अध्यापक अनुपात की पूर्ति कर ली गयी है, को बिना स्थलीय निरीक्षण के स्वघोषणा पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा इस नियमावली के परिशिष्ट–दो (क) में उल्लिखित प्रपत्र–2(क) पर उस विद्यालय को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में उल्लिखित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

यदि किसी भी समय मानक एवं मानदण्ड़ों के पूर्ण न होने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने अथवा विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय के निरीक्षण के दौरान मानक पूर्ण न होना दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/ अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

नियम 20 के उपनियम (10) का प्रतिस्थापन

7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
20(10) आम सभा के सदस्यों तथा निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल सामन्यतः शैक्षणिक सत्र के अनुरूप एक वर्ष का होगा। अपवाद स्वरूप शैक्षणिक सत्र 2010–11 में गठित की जाने वाली विद्यालय	**20(10)** आम सभा के सदस्यों तथा निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल सामन्यतः शैक्षणिक सत्र के अनुरूप **तीन वर्ष का होगा, बशर्तें कि उनके पाल्य उस विद्यालय में उक्त तीन वर्ष तक उस विद्यालय में अध्ययनरत हों।**

प्रबन्धन समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल 31 मार्च, 2012 तक होगा, बशर्ते कि उनके पाल्य 31 मार्च, 2012 तक उस विद्यालय में अध्ययनरत हों।

नियम 22 के उपनियम (1) का प्रतिस्थापन

8. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 22 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
22(1) विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जाएगाः– (अ) विद्यालय के क्रियाकलापों का अनुश्रवण; (ब) विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना एवं संस्तुति देना; (स) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में अनुश्रवण करना; (द) राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति एवं निर्देशों का सम्पादन करना।	**22(1)** विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जाएगाः (अ) विद्यालय के क्रियाकलापों का अनुश्रवण; (ब) विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना एवं संस्तुति देना; (स) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में अनुश्रवण करना; (द) राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति एवं निर्देशों का सम्पादन करना। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि **अधिनियम की धारा 21(1) के प्रावधान के अन्तर्गत धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालयों तथा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ढ) के उपखण्ड (दो) में परिभाषित सहायता प्राप्त विद्यालयों में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति मात्र सलाह देने का कार्य करेगी**

नियम 24 के उपनियम (1) का प्रतिस्थापन

9. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 24 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
24(1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 22 की उपधारा (1) के प्राविधानों के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाएगा तथा इस प्रकार तैयार की गई योजना उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले योजनागत् एवं अन्य अनुदानों के लिए आधार होगी। विद्यालय विकास योजना के निर्माण में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः– (एक) विद्यालय विकास योजना का निरूपण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से न्यूनतम 03 माह पूर्व कर लिया जायेगा; (दो) विद्यालय विकास योजना 03 वर्ष हेतु तैयार की जायेगी तद्नुसार प्रति वर्ष उप योजना के रूप में वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।	**24(1)** शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 22 की उपधारा (1) के प्राविधानों के अनुसार **<u>(अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ढ) के उपखण्ड (दो) में परिभाषित सहायता प्राप्त विद्यालय तथा भाषा या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित विद्यालयों को छोड़कर)</u>** विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाएगा तथा इस प्रकार तैयार की गई योजना उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले योजनागत् एवं अन्य अनुदानों के लिए आधार होगी। विद्यालय विकास योजना के निर्माण में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः– (एक)विद्यालय विकास योजना का निरूपण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से न्यूनतम 3 माह पूर्व कर लिया जायेगा; (दो) विद्यालय विकास योजना 3 वर्ष हेतु तैयार की जायेगी तद्नुसार प्रति वर्ष उप योजना के रूप में वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

नियम 33 के उपनियम (1) का प्रतिस्थापन

10. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
33(1) जिला शिक्षाधिकारी अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या, जैसा	**33(1)** मुख्य शिक्षाधिकारी अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित है,

कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित है, नियमावली के प्रवृत्त होने के अधिकतम तीन माह के अन्तर्गत अधिसूचित करेंगे।	नियमावली के प्रवृत्त होने के अधिकतम **<u>तीन वर्ष</u>** के अन्तर्गत अधिसूचित करेंगे।

नये नियम 39 का जोड़ा जाना

11. उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011, जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, के नियम 38 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 39 बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

नियम 39

असहायता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता की शर्तो, मान्यता की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह शासनादेश निर्गत कर उक्त व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव

परिशिष्ट–एक

प्रपत्र–1(क) (शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के प्रभावी होने से पूर्व मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों को पूर्ण करने विषयक स्वघोषणा पत्र

उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम–17(क) को देखें

(स्थान)
दिनांकः ....

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद–.........................
उत्तराखण्ड।

महोदय,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में वर्णित मानक एवं मानदण्ड़ों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में मैं एक स्वघोषणा करता/करती हूँ एवं विहित प्रपत्र में (विद्यालय का नाम एवं पता).. में मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु स्वघोषणा पत्र प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

स्थानः
दिनांकः

भवदीय

संलग्नकों का विवरणः

विद्यालय प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष/ व्यवस्थापक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्वघोषणा–प्रपत्र

	(क) विद्यालय–विवरण	
1	विद्यालय का नाम	
2	शैक्षिक सत्र	
3	जनपद	
4	पत्राचार का पता	
5	वार्ड	
6	गाँव / नगर	
7	तहसील	
8	पिन कोड	
9	दूरभाष सं0 एस0टी0डी0 कोड के साथ	
10	फैक्स न0	
11	ई–मेल पता (यदि हो)	
12	निकटतम पुलिस स्टेशन	

	(ख) सामान्य सूचनाएँ	
1	स्थापना का वर्ष (मान्यता / अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	
2	पहली बार विद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि	
3	ट्रस्ट / सोसाइटी / प्रबन्धन समिति का नाम	
4	ट्रस्ट / सोसाइटी / प्रबन्धन समिति का पंजीकरण संख्या (पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करें)	
5	ट्रस्ट / सोसाइटी / प्रबन्धन समिति के पंजीकरण की वैधता अवधि(पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करें)	
6	विद्यालय के सचिव / अध्यक्ष / प्रबन्धक के कार्यालय का पता	
	नाम	
	पदनाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या	(कार्यालय) (आवास)
	ई–मेल पता	

	(ग) विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र	
1	शिक्षण का माध्यम	
2	विद्यालय का प्रकार (मान्यता के अनुसार प्रथम एवं अन्तिम कक्षा का उल्लेख करें)	
3	क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है?	
4	क्या विद्यालय भवन / अन्य आधारभूत संरचनाएँ / मैदान केवल शिक्षा और कौशल के विकास के लिए उपयोग की जाती हैं?	
5	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	

6	निर्मित भवन का क्षेत्रफल	
7	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या–क्या सुविधाएँ / संरचनाएँ उपलब्ध है?	
8	क्या विद्यालय राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रियायती दर पर भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाएँ प्राप्त होने के कारण कुछ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? यदि हाँ, तो अभिलेख संलग्न करें (संलग्नक संख्या ....)	

(घ) वर्तमान में नामांकन की स्थिति				
	कक्षा	**अनुभागों की संख्या**	**विद्यार्थियों की संख्या**	**छात्र शिक्षक अनुपात**
1	**पूर्व प्राथमिक**			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

(च) आधारभूत संरचना तथा स्वच्छता सुविधाओं का विवरण			
	कक्ष	**संख्या**	**औसत आकार**
1	कक्षा–कक्ष		
2	कार्यालय सह भण्डार सह प्रधानाध्यापक कक्ष		
3	खेल का मैदान		

(छ) अन्य सुविधाएँ		
1	क्या विद्यालय में सभी सुविधायें अवरोध रहित पहुँच के अन्तर्गत हैं?	
2	क्या प्रत्येक कक्षा की आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है?	
3	क्या प्रत्येक कक्षा की आवश्यकतानुसार खेल–कूद सामग्री उपलब्ध है?	
4	क्या विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा हैं? यदि हाँ, तो क्या पुस्तकालय में समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं कहानी की पुस्तकों के साथ सभी विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध हैं?	
5	क्या सभी बच्चों के लिए स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्र में पेयजल सुविधा उपलब्ध है?	
6	क्या बालक एवं बालिकाओं हेतु आवश्यकतानुसार अलग–अलग शौचालयों की व्यवस्था है? यदि हाँ तो–	
	(i) बालको के लिए अलग शौचालय की संख्या	

	(ii) बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की संख्या	
7	क्या निःशक्त बच्चों हेतु रैम्प एवं रेलिंग तथा विशेष शौचालय की व्यवस्था है?	
8	क्या विद्यालय में अग्नि से बचाव की व्यवस्था है?	
9	क्या विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा हेतु चाहरदीवारी या Fencing की व्यवस्था है?	

(ज)	पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम	
1	क्या विद्यालय में एन0सी0ई0आर0टी0 / एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड / सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 का पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है?	
2	क्या छात्रों के आकलन की पद्धति अधिनियम के प्रावधानानुसार है (धारा–29)	
3	क्या विद्यालय के छात्रों को कक्षा–8 तक किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है?	

(झ)	कक्षावार प्रतिछात्र शुल्क								
कक्षा	पूर्व प्राथमिक	1	2	3	4	5	6	7	8
अधिकतम शिक्षण शुल्क									
शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्कों का मदवार विवरण									

नोटः– उपरोक्तानुसार घोषित राशि से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

ड़. <u>अन्य घोषणाएंः–</u>

(1) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी / ऐसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हों, द्वारा समय–समय पर माँगे जाने वाले प्रतिवेदन, जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डायस) में सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–23 में उल्लिखित प्रावधानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करेगा, ऐसे अध्यापक जो अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व से कार्यरत हैं और अधिनियम के अनुसार न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं, उन्हें मार्च, 2015 तक न्यूनतम योग्यता अर्जित करा लेगा।

(3) विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में निहित मानक एवं मानदण्ड़ों को स्थापित रखेगा;

(4) विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा तद्न्तर्गत अधिसूचित उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के समस्त प्राविधानों का पालन करेगा; मुख्य रूप से विद्यालय

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 एवं 25 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में निहित मानक एवं मानदण्डों को स्थापित रखेगा;

(5) विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय को छोड़कर) अपने निकट (पड़ोस) के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा–1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों की सीमा तक प्रवेश देगा।

(6) प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी को बच्चों से प्रभारित की जाने वाले शुल्क का विवरण उपलब्ध करायेंगे;

(7) विद्यालय बच्चों से किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क प्रभारित नहीं करेंगे तथा बच्चों के प्रवेश के समय बच्चे अथवा उसके माता–पिता अथवा अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे;

(8) मैं घोषणा करता हूँ कि विद्यालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के धारा–19 में उल्लिखित अनुसूची के निर्धारित मानक एवं मानदण्डों एवं धारा–25 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण कर लिया गया है।

(9) मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे संज्ञान में सही हैं तथा यदि उक्त वर्णित तथ्यों में से कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो विभाग शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन नियमानुसार मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

नोटः– उपरोक्त स्वघोषणा पत्र रू0 100.00 के नोटराइज्ड स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनांकः–................

ह0/–
विद्यालय प्रबंधन समिति के
अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक
विद्यालय का नाम एवं पता

<u>परिशिष्ट– दो</u>

<u>प्रपत्र–2(क)</u>

<u>निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम–17(क) को देखें</u>

ई–मेलः **दूरभाषः**

फैक्सः

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी ....(जनपद का नाम) उत्तराखण्ड

पत्रांकः– **दिनांक....................**

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

....(विद्यालय का नाम एवं पता)

विषयः **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।**

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक .... के क्रम में आपके विद्यालय .... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा–19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद–.............................. में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या............. .. है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम–18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता / अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद–....................
उत्तराखण्ड।